



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-20112025-267863  
CG-WB-E-20112025-267863

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5133]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2025/कार्तिक 29, 1947

No. 5133]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025/KARTIKA 29, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 19 नवम्बर, 2025

का.आ. 5304(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “बरहरवा-भागलपुर तीसरी और चौथी लाइन” परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु झारखण्ड के साहिबगंज जिला एवं बिहार के भागलपुर जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, बिशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./325]  
पी. के. शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[Eastern Railway (Construction Department)]**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th November, 2025

**S.O. 5304(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “**Barharwa-Bhagalpur 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Line**” as **Special Railway Project** for acquisition of land in Sahibganj District of Jharkhand and Bhagalpur District of Bihar, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CAO/Con/L/325]

P. K. SHARMA, Chief Administrative Officer/Con.